

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु
पीठासीन अधिकारी : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक:-08.01.2020

प्रार्थना पत्र संख्या : 01 / 2020

1. गोपालसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपूत उम्र 44 वर्ष निवासी लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरु (राज.)
2. महेन्द्रसिंह पुत्र केशरीसिंह जाति राजपूत उम्र 60 वर्ष निवासी लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरु (राज.)

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. आनन्दसिंह पुत्र हरिसिंह
2. आशुसिंह पुत्र रावतसिंह
3. इन्द्रकंवर पत्नी रावतसिंह
4. जितेन्द्रसिंह पुत्र केशरीसिंह
5. नत्थूसिंह पुत्र कल्याणसिंह
6. निर्मला शेखावत पुत्री करणीसिंह
7. पृथ्वीसिंह पुत्र रावतसिंह
8. प्रतापसिंह पुत्र हरिसिंह
9. बलवन्तसिंह पुत्र करणीसिंह
10. भागवन्तीकंवर पत्नी गुलाबसिंह
11. भानूकंवर पुत्री राजूसिंह
12. मन्जुकंवर पुत्री करणीसिंह
13. मदनकंवर पुत्री कल्याणसिंह
14. मधुबाला पुत्री हरिसिंह
15. मनोरमा पुत्री हरिसिंह
16. मनोहरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
17. मोतीसिंह पुत्र भोमसिंह
18. रतनसिंह पुत्र हरिसिंह
19. रविन्द्रसिंह पुत्र राजूसिंह
20. लक्ष्मणकंवर पत्नी राजूसिंह
21. विक्रमसिंह पुत्र गुलाबसिंह
22. विजयसिंह पुत्र केशरीसिंह
23. विमलकंवर पुत्री हरिसिंह
24. शकुन्तलाकंवर पुत्री रावतसिंह
25. शिवसिंह पुत्र हरिसिंह
26. संग्रामसिंह पुत्र करणीसिंह
27. सुरेन्द्रसिंह पुत्र केशरीसिंह
28. सीमाकंवर पुत्री गुलाबसिंह

जाति राजपूत निवासीगण लोहसना बड़ा

तहसील व जिला चूरु (राज.)



3/1/20
उपखण्ड अधिकारी,
चूरु

29. अब्दुलसतार
30. अदरीश
31. अब्दुल बुखारी
32. उस्मानगनी } पुत्रगण यासीन जाति कसाई निवासी टमकोर
तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
33. जुलेखा
34. बलकेश
35. राबिया
36. हाजरा } पुत्रियां यासीन जाति कसाई निवासी टमकोर
तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
37. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लोहसना बड़ा
तहसील व जिला चूरू (राज.)
38. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज.)
39. उप पंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, चूरू (राज.)

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

अन्तरिम स्थगन आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने, प्रार्थी के शपथ पत्र एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। अतः अन्तरिम स्थगन आदेश बहक प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण इस अमर का जारी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नं. 176, 319, 328 कुल तादादी 21.8277 हैक्टेयर रोही मौजा लोहसना बड़ा एवं खसरा नं. 215, 238, 239, 960/240 कुल तादादी 33.6523 हैक्टेयर रोही मौजा बास महलान तहसील चूरू में प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी हिस्से तक रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखें। यह अस्थाई निषेधाज्ञा केवल आगामी तारीख पेशी तक है। आगामी आदेश सुनवाई पश्चात् पृथक् से जारी होंगे। आज से पूर्व पंजीकृत बैयनामे पर यह आदेश लागू नहीं होगा। बैंक ऋण वसूली (रोड़ा एक्ट), रास्ता विवाद, DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। अप्रार्थीगण को इसमें कोई उजर या आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय की आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.02.2020 को उपस्थित आकर पेश करें।

अन्तरिम स्थगन आदेश आज दिनांक 08.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(अवि गगं)

उपस्थंड अधिकारी

चूरू